संख्या-**09**/2018/79**4**/26-2-2018-**100(02)/2007**

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : **16 मई, 2018**

विषय:-वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश में आंशिक संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3/2016/579/26-2-2016-100(02)/2007 दिनांक 29 फरवरी, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। शासनादेश संख्या-470/26-2-2018 दिनांक 13 मार्च, 2018 द्वारा वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थी को आवेदन-पत्र की हार्ड कॉपी जिला समाज कल्याण अधिकारी के जनपदीय कार्यालय में जमा करने के स्थान पर तहसील स्तर पर हार्ड कॉपी जमा किये जाने सम्बन्धी मा0 अध्यक्ष, विधानसभा द्वारा दिये गये सुझाव के सम्बन्ध में निदेशक की आख्या/संस्तुति से शासन को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्रों में सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी के माध्यम से सत्यापन का कार्य उनके नियंत्रणाधीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रमशः ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी द्वारा नामित राजस्व कर्मियों के माध्यम से सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है। यदि सम्पूर्ण सत्यापन का कार्य तहसील स्तरीय कर्मचारियों को सौंप दिया जायेगा, तो उसके परिणामस्वरूप राजस्व कर्मियों के ऊपर राजस्व के कार्यों के साथ-साथ उक्त कार्य का अत्यधिक दबाव रहेगा एवं सत्यापन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ कार्य में विलम्ब होना सम्भावित होगा, जबकि इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कार्मिकों के माध्यम से सत्यापन कार्य कराये जाने एवं शहरी क्षेत्र/टाउन एरिया के लाभार्थियों का सत्यापन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से कराये जाने की स्थिति में सत्यापन की गुणवत्ता के साथ-साथ कम अवधि में उक्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा। तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 29 फरवरी, 2016 के पैरा-4(1) के बिन्दु संख्या-iv एवं ix एवं पैरा-4(2) के बिन्दु संख्या-**i** एवं **iii** में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में किये जाने वाले आंशिक संशोधन का प्रस्ताव क्रमशः निम्नवत् है:-

वर्तमान व्यवस्था	**संशोधन (वृद्धावस्था पेंशन हेतु)**
4(1)iv आवेदक द्वारा आवेदन के समय निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा एवं आवेदन पत्र के साथ वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन के लिए आवेदक की आयु का प्रमाण-पत्र, (परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मितथि का अंकन हो, आय प्रमाण-पत्र (यदि लाभार्थी बी0पी0एल0 सूची में है, तो सम्बन्धित सूची की छायाप्रति) एवं सी0बी0एस0 बैंक खाते (आई0एफ0एस0 कोड सहित) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।	**4(1)iv** आवेदक द्वारा आवेदन के समय निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा एवं आवेदन पत्र के साथ वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन के लिए आवेदक की आयु का प्रमाण-पत्र, (परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन होगा, के **अतिरिक्त आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि भी आयु के प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगी।** आय प्रमाण-पत्र (यदि लाभार्थी बी0पी0एल0 सूची में है, तो सम्बन्धित सूची की छायाप्रति अथवा शासनादेश संख्या-22/2015/2123/26-2-2015, दिनांक 14 सितम्बर, 2015

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	की व्यवस्थानुसार वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए रू0 56,460/- तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए रू0 46,080/- की सीमा तक सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र) के सम्बन्ध में पूर्व में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत् लागू होंगी।
4(1)ix- सम्बन्धित आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करके उसपर यथास्थान हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बनाकर सभी आवश्यक संलग्नकों यथा-आय प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, आयु का प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र, विकलांग भरण पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) के प्रकरण में सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं बैंक खाता सम्बन्धी प्रपत्र की हार्ड कापी पर भी पुष्टिस्वरूप अपने हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा लगाकर साथ में संलग्न करते हुए आवेदक द्वारा हार्ड कापी वृद्धावस्था पेंशन से सम्बन्धित आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) से सम्बन्धित आवेदन-पत्र जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यालय में तथा विकलांग भरण पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) से सम्बन्धित आवेदन-पत्र जिला विकलांगजन विकास अधिकारी के कार्यालय में विलम्बतम् आनलाइन आवेदन की तिथि से 30 दिन के अन्दर	**4(1)ix-** सम्बन्धित आवेदक द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करके उसपर यथास्थान हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बनाकर सभी आवश्यक संलग्नकों यथा-आय प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, आयु का प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र एवं बैंक खाता सम्बन्धी प्रपत्र की हार्ड कापी पर भी पुष्टिस्वरूप अपने हस्ताक्षर/अंगूठा लगाकर आवेदन की हार्ड कापी **शहरी क्षेत्र के आवेदक सम्बन्धित उपजिलाधिकारी कार्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में विलम्बतम् आनलाइन आवेदन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अनिवार्यत: जमा किया जाएगा** तथा सम्बन्धित कार्यालय से निर्धारित प्रारूप पर ''कम्प्यूटर-जनरेटेड'' प्राप्ति-रसीद प्राप्त की जाएगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनिवार्यत: जमा किया जाएगा तथा सम्बन्धित कार्यालय से निर्धारित प्रारूप पर ''कम्प्यूटर-जनरेटेड'' प्राप्ति-रसीद प्राप्त की जायेगी।	
4(2)-i आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोवेशन अधिकारी/जिला दिव्यांगजन विकास अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड कराये गये आवेदक के डाटा का मिलान हार्ड-कापी से किया जाएगा एवं मिलान करने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन-पत्रों को आनलाइन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के लॉगिन आई0डी0 पर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को सत्यापन एवं सत्सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रियानुसार पात्र अभ्यर्थियों को सहायता स्वीकृति/ अपात्रों की अस्वीकृति की कार्यवाही हेतु 07 दिनांक के अन्दर अनिवार्यत: अग्रसारित किया जाएगा।	**4(2)-i** वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन के पश्चात् आवेदक के आवेदन की हार्डकापी ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कयार्यालय में एवं शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा कर कम्प्यूटर जनरेटेड प्राप्ति रसीद प्राप्त करेगा, तत्पश्चात् सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी आवेदन की हार्डकापी से आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र के डेटा का मिलान करने के पश्चात् सही पाये जाने पर उसका सत्यापन करते हुए उसकी पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति करते हुए उसे जिला समाज कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर फारवर्ड करेगा, साथ ही उक्त आवेदन की हार्ड कॉपी भी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेगा।
4(2)-iii सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्तानुसार आनलाइन अग्रसारित तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोवेशन अधिकारी/जिला विकलांगजन विकास अधिकारी के कार्यालय से आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित ग्राम	**4(2)-iii** सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्तानुसार आनलाइन अग्रसारित तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारियों के

http://shasanadesh.up.nic.in

पंचायत के ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से कराते हुए पेंशन हेतु पात्र एवं अपात्र आवेदकों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में संस्तुति/असंस्तुति की कार्यवाही कराते हुए सम्बन्धित सूची एवं आवेदन-पत्र 45 दिनों के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत से वापस प्राप्त करते हुए अपने लागिन आई0डी0 से आनलाइन सम्बन्धित आवेदन-पत्रों को स्वीकृति/अस्वीकृति का अंकन करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोवेशन अधिकासरी/जिला विकलांगजन विकास को अग्रसारित करेंगे तथा हार्डकापी (आवेदन-पत्र एवं सम्बन्धित स्वीकृति/अस्वीकृति की सूची) 07 दिनों के अन्दर सम्बन्धित कार्यालयों को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।	माध्यम से कराते हुए पेंशन हेतु पात्र एवं अपात्र आवेदकों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रियानुसार अपनी स्पष्ट संस्तुति/ असंस्तुति की कार्यवाही कराते हुए सम्बन्धित सूची एवं आवेदन-पत्र अधिकतम् 45 दिनों के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत से वापस प्राप्त करते हुए अपने लागिन आई0डी0 से आनलाइन सम्बन्धित आवेदन-पत्रों को स्वीकृति/ अस्वीकृति का अंकन करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रवारित करेंगे तथा हार्डकापी (आवेदन-पत्र एवं सम्बन्धित स्वीकृति/अस्वीकृति की सूची) 07 दिनों के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उक्तानुसार शासनादेश संख्या-3/2016/579/26-2-2016-100(02)/2007, दिनांक 29-02-2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

पृ0 संख्या-09/2018/794(1)/26-2-2018-100(02)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।